

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935

No. 1466]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ASADHA 4, 1935

सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

का.आ. 1849(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1291(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2003 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-17 पर 358.300 किमी से 375.300 किमी (सूरतकल से नान्तूर), राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर 328.000 किमी से 345.000 किमी (बी सी रोड से पोडिल जंक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग-13 पर 743.900 किमी से 745.000 किमी (मरोली जंक्शन से नान्तूर जंक्शन) तक के खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सींपे हैं;

और यतः, बैराड़ी-मरोली एमडीआर का खण्ड, जिसकी लम्बाई की पैमाइश 2.60 किमी है, कर्नाटक सरकार द्वारा पत्र सं. पीडब्लूडी 196 सीएनएच, तारीख 16 अक्तूबर, 2003, द्वारा प्राधिकरण को सौंपा गया है।

और यतः प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय राजमार्ग-17 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर नया मंगलौर पत्तन संयोजन सड़क के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन हेतु मैसर्स न्यू मंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (एनएमपीआरसीएल), द्वारका, नई दिल्ली के साथ 8 नवम्बर, 2010 को करार किया है।

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग हेतु शुल्क का संग्रहण करने के लिए सा.का.िन. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं।

2811 GI/2013

और यतः, प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिन्हें सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008, के तहत प्रकाशित किया गया था और समय-समय पर संशोधित किया गया था, के प्रावधानों को शामिल करते हुए नया मंगलोर पत्तन संयोजन की शुल्क अधिसूचना को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 33.299 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और दस करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले दो बाइपासों के लिए, जिनकी कुल लम्बाई 3.20 किमी है, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 (सूरतकल-नान्त्र सेक्शन), (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66) के 358.000 कि.मी. से 375.300 कि.मी. तक, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (बी सी रोड से पाडिल जंक्शन) (नया रारा सं.-73) के 328.000 किमी से 345.000 कि.मी. तक और 0.000 कि.मी. से 3.172 किमी (नान्त्र से पाडिल) तक के बाइपास के खंड ("उक्त खण्ड") के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उन्महीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात:—

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)	
(1)	(2)	
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65	
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05	
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20	
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40	
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर	3.45	
(अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)		
अधिक बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20	

ी. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्निलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेत्, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	
दक्षिण कन्नड़ जिले में बी. मुड़ा गांव के पास रारा-48		
(नया रारा-73) पर 331.290 किमी		
दक्षिण कन्नड जिले में सूरतकल गांव के पास रारा-17	16.762 किमी	
(नया रारा-66) पर 358.042 किमी एन आई टी के		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों की लंबाई (कि.मी. में) जिनके लिए अतिरिक्त
	शुल्क संदेय है
दक्षिण कन्नुड जिले में हो. मुझा गांव के पास रारा-48 (नया राय-73) पर 331,290 किमी	1.60 किमी
दक्षिण कन्म में स्रतकल गांव के पास रारा-17 (नया रारा-56 कि 358.042 किमी एन आइ टी के	1.60 किमी

- 3. जिस् अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से तिक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो कपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उप
- 5. अपने पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखिन दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्ः

Height	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
पन्ना के लिए शुल्क का डेढ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
प्रकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की जा दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- **5.** जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्त के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
- 6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुजेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुजेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

- 9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे तदनुसार कम-से-कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 363.00 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जानेवाले शुल्क की दरों को 40% घटा दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार, उसमें वार्षिक दौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/691/सीओ/11-12/जीसी-मंगलोर-पीसी] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2013

S.O. 1849(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1291(E), dated the 11th November, 2003, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from km 358.000 to km 375.300 (Suratkal to Nontour) on NH-17, from km 328.000 to km 345.000 (BC Road to Podil Junction) on NH-48 and from km 743.900 to km 745.000 (Maroli Junction to Nantoor Juction) on NH-13 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the stretch of Bairadi-Maroli MDR measuring a length of 2.60 km. has been entrusted by the Government of Karnataka to the Authority vide letter No. PWD 196 CNH dated October 16, 2003.

And whereas, the Authority entered into an agreement with M/s. New Mangalore Port Road Company Limited (NMPRCL), Dwarka, New Delhi on 8th November, 2010 for the construction, maintenance and operation of New Mangalore Port Connectivity Road on NH-17 and NH-48 on Build, Operate and Transfer Basis.

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008, for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

And whereas, the Authority has decided to notify the Fee Notification of New Mangalore Port Connectivity incorporating the provisions of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of Table 1 for net road section length of 33.299 Kms (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at one and one half times the base rate for two numbers of bypasses having aggregate length of 3.20 km and costing Rs. 10 crore or more on the type of Vehicles specified in column(1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 358.000 to kilometer 375.300 of National Highway No. 17 (Surathakal Nantoor section), (New National Highway No. 66), from kilometer 328.000 to kilometer 345.000 of National Highway No. 48 (B.C. Road to Padil section) (New National Highway No. 73) and Bypass from kilometer 0.000 to kilometer 3.172 (Nantoor to Padil) in the state of Karnataka (the "said stretch") and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	· (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the net road section length specified for such Toll Plaza(s):—

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 331.290, on NH-48 (new NH-73) near B. Muda Village in Dakshin Kannada District	16.537 kms
Km 358.042 NITK, on NH-17 (new NH-66) near Surathkal Village in Dakshin Kannada District	16.762 kms

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) at one and half times the rate specified in sub-rule (2) of Rule 4 of the said rules for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km 331.290, on NH-48 (new NH-73) near B. Muda Village in Dakshin Kannada District	1.60 kms
Km 358.042 NITK, on NH-17 (new NH-66) near Surathkal Village in Dakshin Kannada District	t.60 kms

The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

2811 45713-2

- 5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
- 6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.
- 8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
- 9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-2008 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and published and will further be revised annually and published in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 10. The estimated capital cost of the project is Rs. 363.00 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/691/CO/11-12/GC-Mangalore-PC]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.